रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082023-247903
CG-DL-E-07082023-247903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3365] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 7, 2023/श्रावण 16, 1945
No. 3365] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 2023/SHRAVANA 16, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2023

का.आ. 3516(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2173 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की राय से यह अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2173(अ) तारीख 27 अगस्त, 2014 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2173(अ) तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

क) पैरा 2 के उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा: अर्थात्:-

"(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, इस संशोधित अधिसूचना के प्रकाशन से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दी गई शर्तों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी'.

ख) पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (10) में, "और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने" शब्दों का लोप किया जाएगा;

[फा. सं. 25/13/2013-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2173(अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2023

S.O. 3516(E).— Whereas the Central Government, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses(v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act,1986(29 of 1986) read with sub-rule(3) of rule 5 of the Environment (Protection) Act,1986, issued a notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(ii) vide number S.O. 2173(E), dated the 27th August, 2014;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification.

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government as of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1985 for amending the notification number S.O. 2173(E), dated 27th August,2014 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 2173 (E), dated the 27th August, 2014, namely:-

In the said notification,-

a) in paragraph 2, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) The State Government shall, prepare a Zonal Master Plan, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, in consultation with local people in accordance with this notification, within a period of two years from the date of publication of this amendment notification".

b) in paragraph 3, in sub-paragraph (10), the words, "and *approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change*", shall be omitted.

[F. No. 25/13/2013-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2173(E), dated the 27th August, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA